Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में जिला परिषद का सहायक विकास अधिकारी 11 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये मुकेश कांकाणी सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, अजमेर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कार्यालय ग्राम पंचायत टाड़गढ़ के निरीक्षण रिपोर्ट में कमियाँ नहीं निकालने की एवज में मुकेश कांकाणी सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा 16 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीरा बेनीवाल** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश कांकाणी पुत्र श्री गणेशीलाल कांकाणी निवासी मकान नं0 12, न्यू गणेश नगर, रामगंज, जिला अजमेर हाल सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।